न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 148/2024 (उदयपुर डिक्री)

मांगीलाल पिता स्वर्गीय सवला गमेती, निवासी सुरफलाया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. नारायणलाल पिता श्री भंवरलाल गुर्जर, निवासी देवाली (गोवर्धन विलास), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
गिर्वा दि. 22.07.2021 प्र.सं. 309/19

———/———

उपस्थित :– 1. श्री पुष्कर लोहार अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 10–01–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम काया (सुरफलाया), तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 385, 386, 387, 434, 540, 541, 3276/385 कुल किता 7 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में धर्मा, सवला, वरदा पिता वक्ता मीणा के नाम दर्ज है, वादी सवला का पुत्र है, जबकि धर्मा व वरदा उसके ताउ व काका हैं। उक्त आराजियात के हाल आराजी नंबर 81 से 88, 190, 368, 370 कुल किता 11 रकबा 3.9200 हैक्टर बने। उक्त आराजियात वादी की पैत्रृक भूमि होकर उसके दादा वक्ता जी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके तीनों पुत्र धर्मा, सवला, वरदा के नाम दर्ज हुई तथा वादी के पिता की मृत्यु उपरान्त वादी व उसके [illegible] किसान हक से काबिज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:11 IST
Reason: SelfAttested

काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। साबिक आराजी नंबर 385 रकबरा 12 बीघा 1 बिस्वा से प्रतिवादी संख्या 2 का कोई सरोकार नहीं है, न ही यह भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व उनके नाम दर्ज थी तथा सेटलमेन्ट के बाद उक्त आराजी से जो नये नंबर 81, 82, 83 बने वह वादी व उसके परिवार के नाम पर दर्ज किये गये हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर साबिक आराजी नंबर 385 से आराजी नंबर 6862/1 रकबा 3.0800 हैक्टर बनना बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 281 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया तथा वादी को जबरन बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 6862/81 को प्रतिवादी संख्या 2 के खाते से हटाकर पुनः बिलानाम सरकार दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान आराजी नंबर 81 वादी के नाम अंकित नहीं है। वादी व उनके पूर्वजों द्वारा उक्त आराजियात का विक्रय कर दिये जाने से वादी का कोई हित नहीं रहा है तथा विक्रय पश्चात् भूमि आबादी में रूपान्तरित होकर वर्तमान में आवासीय भूमि दर्ज है। आबादी भूमि का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में यह वाद बार्ड बाई लॉ होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 22–07–2021 से वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित मानते हुए प्रतिवादी संख्या 2 का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्कर लोहार उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:11 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के रेकार्ड पर है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को न तो सही तरह से देखा न ही उसका विवेचन किया। आराजी नंबर 81 जो साबिक आराजी नंबर 385 से बनी है है, अपीलान्ट के पिता व काका के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होना मानकर खारिज किया है, किन्तु अपने निर्णय में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि वादी का वाद किस विधि द्वारा वर्जित है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2021 अपास्त की जावे तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 में विवादित आराजी नंबर 6862/81 रकबा 3.0800 हैक्टर बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है तथा कैफियत में जरिये शुद्धि पत्र दिनांक 24–07–2008 आदेश क्रमांक N.T./08/117 से नामान्तरकरण संख्या 281 दिनांक 01–07–1992 इन्द्राज दुरस्ती से आराजी नंबर 6862/81 रकबा 3.0800 हैक्टर नारायणलाल पिता भंवरलाल गुजर सा. देवाली के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई तथा उप जिला कलक्टर गिर्वा के आदेश से उक्त नामान्तरकरण अग्रिम आदेश तक यथावत रखे जाने का अंकन है। अपीलान्ट/वादी ने अपने वाद की कलम संख्या 13 (ख) में विवादित आराजी नंबर 6862/81 रकबा 3.0800 हैक्टर को बिलानाम सरकार दर्ज करने की दाद चाही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का कोई वाद कारण एवं लोकस स्टैण्डाई नहीं माना है तथा सरकार को खातेदार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:11 IST
Reason: SelfAttested

करने हेतु वादी को वाद लाने का अधिकारी नहीं माना है, जो विधि सम्मत है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह भी माना है कि आराजी नंबर 81 जिसके लिए वादी द्वारा दाद चाही गयी है, भिन्न खातेदारों के नाम दर्ज है, जिन्हें वादी द्वारा वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो उक्त वाद हेतु आवश्यक पक्षकार हैं। साथ ही उक्त खसरा संख्या हेतु वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं, जिससे प्रथम दृष्टया वादी का हित हो। इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी गिर्वा का आदेश दिनांक 03—06—2017 प्रस्तुत किया गया है तथा बहस में बताया कि वादी के पिता द्वारा उक्त आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दी गयी थी। अतः वादी का कोई हक निहित नहीं है। यदि वादी उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाना चाहता है तो सिविल न्यायालय में वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर प्रतिवादी संख्या 2 का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22—07—2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10—01—2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:11 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर........
व इजलास ....कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस. ....

मांगीलाल पिता स्व. सवला गमेती, निवासी सुरफलाया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर   बनाम   राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.......148/2024...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.... ....गिर्वा... मुकाम................मुवर्खे.............22............माह..........07..........2021................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....10....माह......01.....सन् 2025 रूबरू..........पक्षकारान व हाजरी.....श्री पुष्कर लोहार...मिनजानिब अपीलान्ट व...श्री कमलेश चौहान

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)....रूपये...... X........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......10.......माह.......01..........2025........ को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा ..			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:11 IST
Reason: SelfAttested